॥ शम्भवे गुरवे नमः ॥

शिव शिष्य परिवार

शिव जन जन के गुरु हैं!

परिपत्र-द्वितीय

प्रधान कार्यालय :
महादेव मार्ग, चित्तोलोढ़िया, पो० - देवसंघ, जिला - देवघर

शम्भवे गुरवे नमः

परिपत्र– द्वितीय

शिव शिष्य परिवार

शिव जन–जन के गुरू हैं।

प्रेषक :

अभिनव आनन्द
संयोजक प्रमुख,
शिव शिष्य परिवार
देवघर, झारखण्ड।

स्थान :– देवघर
मिति :– 25/04/2010

सेवा में,

सभी आंचलिक/प्रक्षेत्रीय/क्षेत्रीय/जिला/अनुमंडल/नगर/प्रखंड/पंचायत/ग्राम एवं वार्ड शिव कार्य संयोजक/शिव चर्चा प्रभारी, उड़ीसा/ उत्तरांचल/ छत्तीसगढ़/ मध्य प्रदेश/ बिहार/झारखंड/ बंगाल/ उत्तर प्रदेश/ दिल्ली/ हरियाणा/ पंजाब/ राजस्थान/जम्मू कश्मीर/ गुजरात/ असम/ मणिपुर/ नागालैंड/ गोवा/ हिमाचल प्रदेश एवं अन्य।

विषय :– शिव शिष्य परिवार द्वारा निर्गत **"परिपत्र प्रथम"** दिनांक 15/06/2008 के उपरान्त समय के अन्तराल में शिव चर्चा एवं शिव कार्य को समुचित व्यवस्था एवं आध्यात्मिक उन्नयन के निमित्त कतिपय मार्गदर्शन से क्षेत्रों के गुरू भाई/बहनों को अवगत कराने के संबंध में।

प्रिय आत्मन्,

उपर्युक्त विषय के सबन्ध में सादर निवेदन है कि लगभग दो वर्ष पूर्व शिव शिष्य परिवार द्वारा शिव चर्चा एवं शिव कार्य हेतु कतिपय मार्ग दर्शक सिद्धान्त समस्त गुरू भाई/बहनों को प्रथम परिपत्र के माध्यम से संसूचित किये गये थे। विदित है कि **परिपत्र–प्रथम** में उल्लिखित बातों से आप सबों को अनवरत अवगत कराया जाता रहा है।

लगभग दो वर्ष के अन्तराल में शिव गुरू चर्चा में गुणात्मक वृद्धि हुई है एवं जन समूह भी हम सबों के कार्यक्रमों में अप्रत्याशित रुप से एकत्रित होने लगा है।

शिव शिष्य परिवार अपने आध्यात्मिक कार्यक्रमों के इहलौकिक एवं पारलौकिक परिप्रेक्ष्य में यथासंभव सतर्क एवं सजग रहता है। आप भी सहमत होंगे कि सुरक्षा, व्यवस्था और कार्यक्रमों की सफलता के निमित्त क्षेत्र के गुरू भाई/बहनों से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव शिव शिष्य परिवार से हुए गहन विचार विमर्श के फलस्वरुप आध्यात्मिक सम्प्रवाह एवं लौकिक व्यवस्था को अविरल करने के प्रयोजन से शिव शिष्य परिवार द्वारा लिए गये निर्णय निम्नरुपेण हैं :–

कंडिका : (01) शिव शिष्य परिवार द्वारा संकल्प लिया गया है कि अगले तीन वर्षो में अर्थात 2012 तक जन–जन का शिव गुरू से जुड़ाव तथा शिव के गुरू स्वरुप की व्याप्ति का कार्य अपने देश में किसी भी परिस्थिति में पूरा किया जाय। इसके लिए एक–एक गुरू भाई/बहन को संकल्पित एवं प्रयत्नशील होना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाने की आवश्यकता है कि शिव केवल नाम के ही नहीं अपितु काम के गुरू हैं। यह सूचना राजा से रसोइया तक पूर्व से है कि शिव, गुरू, जगत गुरू, आदिगुरू, गुरूओं के गुरू, महागुरू हैं, इत्यादि। अतएव हमें जन मानस को मात्र सूचना नहीं देनी है, उन्हें शिव के गुरू स्वरूप से अवगत कराना है, समझाना है ताकि उनका मन शिव को अपना गुरू बनाए।

जन मानस को यह समझाना होगा कि महेश्वर शिव **(महादेव)** से सुख, सन्तान, समृद्धि, सम्मान प्राप्त करने का सदियों पुराना सिलसिला रहा है और जन मानस में यह परम्परा बड़ी पुरानी है। जब महादेव **(ओढ़रदानी)** से दान लिया जा सकता है तो उनसे (वे ही जगत गुरू हैं) ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता। बिना ज्ञान अथवा समझ के दान का कोई सार्थक अर्थ नहीं है, आशंका रहेगी कि ज्ञान रहित दान आत्मघाती हो सकता है। जन–जन को यह समझाना है कि महादेव ओढ़रदानी हैं तो ज्ञान दाता भी हैं। आप जानते हैं कि भारतीय आध्यात्मिक धारा में शिव को ईश्वर, परमेश्वर, महादेव तथा परमात्मा कहा गया है और समझा गया है, यानि वे ही समस्त शक्तियों के जनक हैं।

कंडिका : (02) शिव के शिष्य/शिष्याओं को अपने गुरू के प्रति संवेदनशील होना होगा। गुरू के प्रति संवेदनशील होने का अर्थ है **"गुरू आदेशित कर्म"** यानि शिव गुरू की चर्चा तथा उसमें निहित प्रयोजन। शिव शिष्यों के लिए एक मात्र आदेशित कर्म है दूसरों को शिव गुरू से शिष्य के रुप में जोड़ना।

वरेण्य गुरूभ्राता श्री हरीन्द्रानन्द जी ने कहा है कि शिव गुरू के प्रति दूसरों में शिष्य भाव जागरण के उद्देश्य से की गयी गुरू चर्चा या शिव चर्चा गुरू आदेशित कर्म है। गुरू चर्चा का अर्थ केवल चर्चा करना नहीं बल्कि चर्चा को उद्देश्य –पूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य है दूसरों को शिव गुरू से जोड़ना। क्षेत्र में कुछ लोग पद, पैसा और प्रतिष्ठा हेतु चर्चा करते हैं, यह उचित नहीं है। शिव चर्चा व्यापार नहीं है। यह अपने गुरू शिव से प्रेम की विधा है।

कंडिका : (03) ऐसा पाया जा रहा है कि शिव गुरू परिचर्चाओं में शिव शिष्यता के तीन सूत्रों, विशेष कर शिव गुरू चर्चा को ही सब कुछ समझ लिया जाता है। हम सबों को यह स्मरण रखना होगा कि शिष्य भाव जागरण के ये साधन हैं, साध्य नहीं। हम सबों के गुरू शिव हैं। वे ही हम सबों के साकार एवं निराकार आदर्श हैं। तीन सूत्र शिव गुरू से जुड़ाव के साधन मात्र हैं। ये मार्ग हैं, गन्तव्य नहीं। सीढ़ियाँ हैं, मंजिल नहीं।

"**परिपत्र–प्रथम**" की कंडिका 12 में उल्लेख किया गया है कि भजनों का समावेश शिव गुरू चर्चा के समय को कम कर देता है अतएव इसे न्यून किया जाए। आप जानते हैं कि भजन–कीर्तन–प्रवचन का आज के मानव मन पर स्थायी प्रभाव नहीं हो पाता है। सुदूर क्षेत्रों में शिव शिष्य एवं शिष्यायें, जिन्हें शिव शिष्यता की अवधारणा की समझ नहीं हो पायी है, शिव गुरू चर्चा के बदले में भजनों का कार्यक्रम चलाते हैं। शिव चर्चाओं में इन भजन कीर्तन के कार्यक्रमों को स्थानीय अधिकांश भजनकर्त्ता व्यक्तिगत भौतिक कारणों से बढ़ावा देते हैं।

इन क्षेत्रों के संयोजकों/सजग शिव शिष्यों को चाहिए कि शिव शिष्यता की अवधारणा से सुदूर क्षेत्र के गुरू भाई/बहनों को अवगत करायें। याद रखना होगा कि कीर्तन, भजन, आरती आदि शिव शिष्यता का अंग नहीं है।

कंडिका : (04) परिपत्र प्रथम की कंडिका 21 में भी यह उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रों में आयोजित शिव गुरू परिचर्चा/महोत्सवों में विशेष कर भजन/कीर्तन के समय कुछ नये आगन्तुक लोग, सम्भव है उन लोगों ने शिव शिष्यता की घोषणा कराई हो, कभी–कभी झूमने लगते हैं। लोक भाषा में इसे भूत खेली या प्रेत बाधा कहा जाता है। यह कमजोर मन का परिचायक है। यही कारण है कि भजनों/कीर्तनों के लय एवं धुन पर कुछ लोग झूमने लगते हैं। यह व्यक्ति का उसके मन पर नियन्त्रण खोना है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी दुर्घटना को देखने वाले कमजोर मन वाले लोग या तो बेहोश हो जाते हैं या अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति का मन जब साहसी मन के साथ होता है तो संगति उसे बलशाली बनाती है। शिव को महेश्वर कहा गया है और वे समस्त शक्तियों के जनक हैं "**या शक्ति शिवस्य शक्ति**"। शिव सर्वोच्च गुरू हैं, अतएव उनकी चर्चा–परिचर्चा में तल्लीन व्यक्ति का मन शनैः शनैः बलशाली होने लगता है। ऐसे कमजोर मन वालों को शिव गुरू की चर्चा करने के लिए प्रेरित करना होगा। आपने देखा है कि जैसे–जैसे शिव चर्चा की व्याप्ति होती है तथाकथित भूत खेली या प्रेत बाधा कम होने लगती है। उक्त क्षेत्रों में आयोजित शिव गुरू चर्चा/महोत्सवों में भजन–कीर्तन के कार्यक्रमों को बन्द किया जाना चाहिए और शिव गुरू

की चर्चा करने हेतु एकत्रित जनसमूह को प्रेरित करना ही अगले कुछ महीनों/वर्षों के लिए उचित होगा।

कंडिका: (05) यदा कदा ऐसा पाया जाता है कि छदम्वेशी शिव शिष्य अर्थोपार्जन अथवा सम्मान की चाहत से शिव शिष्यता के तीन सूत्रों से अलग मांत्रिक, ओझा, तान्त्रिक आदि का क्षेत्रों में काम करने लगते हैं और अपने को शिव शिष्य घोषित करते हैं। क्षेत्रों के लोग विशेष कर महिलाएँ आस्था के अधीन ठगी जाती हैं। उन क्षेत्रों के सजग शिव शिष्यों को चाहिए कि गुरू भाई/बहनों को समझाएँ ताकि वे छदम्वेशी शिव शिष्यों (तथाकथित) के चंगुल से मुक्त हो सकें। ऐसे कुकृत्यों से शिव शिष्यता की छवि धूमिल होती है। परिपत्र प्रथम की कंडिका 14, कंडिका 15 एवं 24 के द्वारा पूर्व मे ही प्रचालित किया गया है कि शिव शिष्य परिवार शिव गुरू की अवधारणा की परिधि से बाहर दिये गये कोई विचार, वक्तव्य अथवा कोई कृत्य का सहभागी नहीं होगा और न ही उसका उत्तरदायित्व वहन करेगा।

कंडिका : **(06) परिचर्चाओं/महोत्सवों हेतु कतिपय व्यवस्था मूलक निदेश :–**

(क) वरेण्य गुरूभ्राता श्री हरीन्द्रानन्द जी अथवा मुख्यालय से प्रतिनियुक्त किसी शिव शिष्य/शिष्या के क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान अधिकतम पाँच चार पहिये वाहन ही मुख्य अतिथि के वाहन के साथ कारकेड में चल सकेंगे। दो पहिये वाहन स्थानीय वरीयतम संयोजक की अनुमति से ही मुख्य अतिथि के वाहन के साथ चलेंगे। मोटर साइकिल की अनुमति प्राप्त होने पर हेलमेट एवं जूता चालक हेतु अनिवार्य होगा। कारकेड के चार पहिये वाले वाहन/मोटर बाइक के वैध कागजात एवं अनुज्ञप्ति की जिम्मेवारी उक्त वाहन के चालक एवं वाहन मालिक की होगी। मुख्य अतिथि अथवा शिव शिष्य परिवार का कारकेड की गाड़ियों/मोटर बाइक की वैधता से कुछ भी लेन–देना नहीं होगा।

(ख) महोत्सवों/परिचर्चाओं/संगोष्ठियों में वरेण्य गुरूभ्राता, सचिव एवं सचिव द्वारा मुख्यालय से लिखित रूप से प्रतिनियुक्त शिव शिष्य/शिष्या के मंच तक आने एवं मंच से जाने का मार्ग सामान्य रास्तों से अलग रखा जाय।

(ग) मंच को नीचे भी बन्द किया जाय ताकि कोई मंच के नीचे प्रवेश नहीं कर सके।

(घ) मुख्य अतिथि के मंच पर जाने पर स्थानीय छः गुरूभाई मंच के चारो ओर रहेंगे एवं मुख्यालय द्वारा निर्धारित पाँच व्यक्ति ही मंच पर जा सकेंगे। मंच की सम्पूर्ण व्यवस्था का प्रभार स्थानीय वरीयतम चर्चा प्रभारी का होगा।

(च) डी एरिया में प्रवेश पाने के लिए स्थानीय वरीयतम संयोजक अधिकतम 25 पास निर्गत कर सकेंगे अन्यथा कोई प्रवेश नहीं होगा।

(छ) **वरेण्य गुरूभ्राता/मुख्य अतिथि** से गुरूभाई/बहन के महोत्सवों/परिचर्चाओं संगोष्ठियों के आयोजन चाहारदीवारी/घेरे वाले मैदान में नहीं होंगे। यदि ऐसा पाया जाता है तो शिव शिष्य परिवार स्थानीय वरीयतम संयोजक/प्रभारी के विरूद्ध कारवाई कर सकेगा।

क्षेत्रों में ठहराव/रात्रि विश्राम के स्थल पर अधिकतम ग्यारह गुरूभाई/बहन ही व्यवस्था/सुरक्षा हेतु रहेंगे।

आगमन एवं प्रस्थान में भी व्यवस्था/सुरक्षा हेतु अधिकतम ग्यारह व्यक्ति ही रह सकेंगे। रहने वाले व्यक्तियों का निर्धारण स्थानीय आयोजन समिति करेगी।

(ज) किसी भी महोत्सव/परिचर्चा/संगोष्ठी में मात्र पेय जल की व्यवस्था होगी। किसी भी परिस्थिति में भोजन अथवा अल्पाहार नहीं दिया जायेगा। कोई भी उपहार सामग्री/पम्फलेट/पर्चा/कपड़ा/कागजात आदि वितरित नहीं होंगे। स्थानीय आयोजन समिति इसके उलंघन पर उत्तरदायी होगी एवं उनके विरूद्ध वैधानिक कारवाई की जा सकेगी।

(झ) किसी भी बड़े कार्यक्रम में महिलाओं/पुरूषों के लिए शौचालय, एक एम्बुलेन्स, एक अग्निशामक, एवं अन्य अपेक्षित व्यवस्था अनिवार्य होगी।

(ट) **वरेण्य गुरूभ्राता एवं मुख्य अतिथि** (लिखित रूप से प्रतिनियुक्त) के क्षेत्र में ठहराव, आगमन, प्रस्थान एवं भ्रमण की सूचना सुरक्षा के दृष्टिकोण से गोपनीय रखी जानी चाहिए। स्थानीय आयोजन समिति का उत्तरदायित्व होगा कि मुख्य अतिथि के आने–जाने के मार्ग, ठहराव, भ्रमण आदि की सूचना को गोपनीय रखेंगे।

(ठ) **मुख्य अतिथि** का वाहन प्रशासनिक जिस जिले से गुजरेगा उस जिले के वरीयतम संयोजक/प्रभारी एक अलग वाहन से जिले की सीमा के आरम्भ से लेकर अन्तिम सीमा तक साथ रहेंगे। उनके वाहन में कम से कम पाँच व्यक्ति रहेंगे जिसका निर्धारण वे स्वयं करेंगे। इसकी व्यवस्था कार्यक्रम की आयोजन समिति सुनिश्चित करेगी एवं आवश्यक होने पर उसका व्यय भार भी वहन करेगी।

(ड) **"मुख्य अतिथि"** शब्द का अभिप्राय होगा वरेण्य गुरूभ्राता, सचिव, शिव शिष्य परिवार एवं सचिव, शिव शिष्य परिवार द्वारा लिखित रूप से प्रतिनियुक्त कोई शिव शिष्य/शिष्या/सचिव, अध्यक्ष की सहमति से लिखित प्रतिनियुक्ति कर सकेंगे।

(त) किसी भी महोत्सव/परिचर्चा/संगोष्ठी में ध्वनि विस्तारक यंत्र की कार्यक्रम प्रारम्भ होने के पूर्व ठीक से जाँच कर ली जाय। आयोजन समिति के अध्यक्ष इसके लिए उत्तरदायी होंगे। आयोजन स्थल पर प्रशासनिक अनुमति के निर्धारित समय के पूर्व एवं पश्चात् किसी भी परिस्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्र का निरीक्षण एवं प्रयोग नहीं होगा। बाजा बजाने वालों (स्पीकर) पर भी यह नियम प्रभावी होगा। आयोजन समिति के व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य माना जायेगा।

(थ) **मुख्य अतिथि** के किसी भी आयोजन के एक माह पूर्व आयोजन समिति के गठन की हस्ताक्षरित मूलप्रति जिसमें सभी का हस्ताक्षर हो, स्थानीय वरीयतम संयोजक मुख्यालय को हस्तगत करायेंगे। इसके पूर्व मुख्यालय द्वारा गठित कमिटी पूरी व्यवस्था का निरीक्षण कर लिखित एवं हस्ताक्षरित प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेगी, जिसमें वैधानिक सभी बिन्दुओं का समावेश होगा।

(द) **मुख्य अतिथि** का ठहराव स्थल/रात्रि विश्राम आयोजन स्थल से कम से कम तीन किलोमीटर दूर रखा जाय तथा मुख्य अतिथि के वाहन के अलावा एक अतिरिक्त वाहन चालक के साथ सुरक्षित रखा जाय। चालक की अनुज्ञप्ति एवं गाड़ी के कागजात की वैधता स्थानीय वरीयतम संयोजक सुनिश्चित करेंगे। मुख्य अतिथि की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्थानीय वरीयतम परिचर्चा प्रभारी की होगी।

(ध) बड़े महोत्सवों/परिचर्चाओं के आयोजन के एक माह पूर्व ही सभी प्रशासनिक स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जाय और मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जाय। उक्त आयोजनों के एक सप्ताह पूर्व सम्बंधित जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में लिखित रूप से आयोजन में सम्भावित भीड़ की सूचना दे दी जाय एवं उसके एक दिन बाद आयोजन समिति के पाँच सदस्य आवेदन की छाया प्रति के साथ जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी तथा सम्बंधित थाना प्रभारी से स्वयं मिल कर आयोजन से अवगत कराने एवं पधारने का अनुरोध कृपया करें। उक्त एक सप्ताह पूर्व दाखिल किये गये आवेदनों की प्राप्ति रसीद मुख्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कृपया करा दें।

कंडिका : (07) ऐसा माना जा रहा है कि गुरू बहनों की सख्या कार्यक्रमों में सबसे अधिक रहती है किन्तु शिव चर्चा करने का अवसर उन्हें लगभग नहीं ही मिलता है। सभी संयोजकों/गुरूभाइयों का कर्त्तव्य है कि गुरू बहनों को चर्चा करने का अवसर प्रदान करें एवं कार्यक्रम की व्यवस्था में उनकी सार्थक सहभागिता सुनिश्चित करें। गुरू बहनों की सहभागिता नहीं प्राप्त करना सामाजिक समरूपता के विपरीत है और आध्यात्मिक अवमानना भी।

कंडिका : (08) सादर अनुरोध है कि "**परिपत्र प्रथम**" एवं प्रस्तुत परिपत्र को ध्यान से पढ़ा जाय एवं इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सभी क्षेत्रों के सभी संयोजक एवं सभी सजग शिव शिष्य/शिष्याओं को "परिपत्र प्रथम" एवं द्वितीय के सभी बिन्दुओं से अवगत कराना हम सभी का दायित्व है। कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

शेष "परिपत्र प्रथम" की सभी कंडिकाए प्रभावी मानी जायेंगी।

वरेण्य गुरूभ्राता श्री हरीन्द्रानन्द जी से आध्यात्मिक मार्ग दर्शन प्राप्त करने का सार्थक प्रयास अपेक्षित है। पूर्ण विश्वास है कि हम सभी शिव शिष्यता के पथ पर अबाध गति से अनवरत चलते रहेंगे, जन–जन को प्रेरित करते रहेंगे; गन्तव्य प्रतीक्षारत है।

ससाधुवाद

शुभेच्छु

(अभिनव आनन्द)
संयोजक प्रमुख,
शिव शिष्य परिवार,
देवघर, झारखण्ड।

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कार्यकारिणी के सभी सदस्य, शिव शिष्य परिवार एवं सभी सजग शिव शिष्य/शिष्याओं को सादर सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

*** 15,000 प्रतियाँ मुद्रित।**

(अभिनव आनन्द)
संयोजक प्रमुख,
शिव शिष्य परिवार,
देवघर, झारखण्ड।